



आर.ई.ओ.- 104

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 265122. (अ) फैक्स नं० 2651313

क्रमांक:- प्राग्/जोविनिगलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 1459 जोधपुर,दिनांक... 8-8-05

आदेश

विषय :- ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाऊस श्रेणी के कनेक्शनों पर टेरिफ लागू होने के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 17 ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाऊस श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को स्पेशल श्रेणी के समकक्ष मानकर जारी करना के बारे में वहाँ अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इस भ्रांति को दूर करने के लिये प्रकरण को सामन्वय समिति के समक्ष रखा गया।

सामन्वय समिति की 83 वीं बैठक आयोजित दिनांक 1 व 2 जुलाई 2005 में स्पष्ट किया गया कि 18.9.2004 से पहले फार्म हाऊस श्रेणी में जारी किये गये कनेक्शनों पर फार्म हाऊस की दर लागू होगी एवं जो कनेक्शन 18.9.2004 को या उसके बाद इस श्रेणी में जारी किये जायेंगे उन पर विशेष श्रेणी की दरें ही लागू होंगी।

(एच.एस.देवडा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।